



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01062021-227307  
CG-DL-E-01062021-227307

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 208]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 1, 2021/ज्येष्ठ 11, 1943

No. 208]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 1, 2021/JYAISTHA 11, 1943

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 2021

सं.विधि 42 (3)/87.—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 23 के अधीन जारी अधिसूचना सं. 145 (अ) दिनांक 21 फरवरी, 1991 के खण्ड 1 के साथ पठित धारा 12 की उप-धारा 1 के खण्ड (ख) और धारा 13 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110032 एतद्वारा (क) नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोगशाला को उक्त अधिनियम और इसके अंतर्गत बने नियमों के अधीन पर्यावरणीय प्रयोगशाला को सौंपे गये कार्य करने हेतु "पर्यावरणीय प्रयोगशाला" के रूप में और (ख) तालिका के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को विश्लेषण के लिए भेजे गये वायु, जल, मृदा एवं अन्य पदार्थों के स्तंभ (4) में दर्शाए गए पैरामीटरों के संबंधित समूहों के लिए विनिर्दिष्ट नमूनों का विश्लेषण करने हेतु सरकारी विश्लेषक के रूप में मान्यता देता है। 01 अक्टूबर, 2020 की अधिसूचना संख्या विधि/42(3)/87, की क्रम संख्या 183 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्याओं और प्रविष्टियों को जोड़ा जाएगा :

क्र.सं.	प्रयोगशाला का नाम	सरकारी विश्लेषक का नाम	पैरामीटर समूह हेतु मान्यता
1.	2.	3.	4.
184.	प्रोजेक्ट डेवलेपमेंट इंडिया लिमिटेड, पर्यावरणीय	1. श्रीमती ज्ञानलता देशमुख, उप मुख्य प्रौद्योगिकीविद्।	भौतिक, सामान्य रसायन एवं गैर धात्विक, धातु, कार्बनिक, सूक्ष्मजीव विज्ञान, आविष

	प्रयोगशाला, पीडीआईएल भवन, ए-14, सेक्टर-1, पीओ-नोएडा, जिला-गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201301	2. डॉक्टर प्रशांत कुमार सिंह, सहायक मुख्य प्रौद्योगिकीविद्। 3. श्री अशोक छोकर, सहायक मुख्य प्रौद्योगिकीविद्।	विज्ञानी, जैवकीय, मृदा/ स्लज/तलछट, परिसंकटमय अपशिष्ट अभिलक्षणन, और परिवेशी वायु के विश्लेषण हेतु वायु प्रदूषण पैरामीटर्स, स्रोत उत्सर्जन/स्टैक निगरानी, शोर स्तर और सूक्ष्म मौसम विज्ञानी पैरामीटर्स।
185.	केंद्रीय प्रयोगशाला, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, निर्मल भवन, प्लॉट संख्या 3, टी.टी.सी., एम.आई.डी.सी., शील-महपे रोड, नवी मुंबई-400710, महाराष्ट्र।	1. श्री किशोर विजय गाँवकर, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी। 2. डॉक्टर दयानन्द गानु तारे, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी। 3. श्रीमती हिना विलास खलोककर, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी। 4. श्रीमति शर्मिला चंद्रकांत भीरुड, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी।	भौतिक, सामान्य रसायन एवं गैर धात्विक, धातु, कार्बनिक, सूक्ष्मजीव विज्ञान, आविष विज्ञानी, जैवकीय, मृदा/ स्लज/तलछट, परिसंकटमय अपशिष्ट अभिलक्षणन, और परिवेशी वायु के विश्लेषण हेतु वायु प्रदूषण पैरामीटर्स, स्रोत उत्सर्जन/स्टैक निगरानी, शोर स्तर और सूक्ष्म मौसम विज्ञानी पैरामीटर्स।
186.	एन्वायरमेंट मेनेजमेंट एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, "हसीरु भवन" डोरेसनिपल्या वन परिसर, विनायकनगर सर्किल, जे.पी.नगर 5वां फेज, बंगलुरु-560078, कर्नाटक।	1. डॉक्टर बोया सरिता, अनुसंधान सहयोगी। 2. श्री हरिप्रसाद एस.एल., रसायनज्ञ।	भौतिक, सामान्य रसायन एवं गैर धात्विक, धातु, कार्बनिक, सूक्ष्मजीव विज्ञान, आविष विज्ञानी, जैवकीय, मृदा/ स्लज/तलछट, परिसंकटमय अपशिष्ट अभिलक्षणन, और परिवेशी वायु के विश्लेषण हेतु वायु प्रदूषण पैरामीटर्स, स्रोत उत्सर्जन/स्टैक निगरानी, शोर स्तर और सूक्ष्म मौसम विज्ञानी पैरामीटर्स।

इस प्रकार उल्लिखित पर्यावरणीय प्रयोगशालाएँ अधिसूचना जारी होने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगी। हालांकि, कॉलम (3) में उल्लिखित सरकारी विश्लेषक 05 वर्ष की अवधि या बोर्ड की सेवाओं से अधिवर्षिता होने तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किए जाएंगे।

### (ख) शुद्धिपत्र (I)

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 23 के अधीन जारी अधिसूचना सं. 145 (अ) दिनांक 21 फरवरी, 1991 के खण्ड 1 के साथ पठित धारा 12 की उप-धारा 1 के खण्ड (ख) और धारा 13 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110032 ने निम्नलिखित "पर्यावरणीय प्रयोगशाला" (तालिका के स्तंभ 1), सरकारी विश्लेषक (तालिका के स्तंभ 2) को विश्लेषण के लिए भेजे गये वायु, जल, मृदा अथवा अन्य पदार्थों, पैरामीटरों के संबंधित समूहों के लिए विनिर्दिष्ट नमूनों का विश्लेषण करने के प्रयोजन से मान्यता प्रदान की थी और तालिका के स्तंभ 3) पर वर्णित राजपत्र अधिसूचना में अधिसूचित किया गया था।

दिनांक 08 फरवरी, 2018 की यह अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III में दिनांक 31 मई, 2018 को प्रकाशित की गई थी और अधिसूचित प्रयोगशालाओं की मान्यता अधिसूचना की तिथि से पाँच वर्षों तक अर्थात् 07 फरवरी 2023 तक थी।

क्र.सं.	प्रयोगशाला का नाम	सरकारी विश्लेषक का नाम	पैरामीटर समूह हेतु मान्यता
1.	2.	3.	4.
173.	केंद्रीय प्रयोगशाला, तेलंगाना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,	1. श्री पी. वीरन्ना, संयुक्त मुख्य पर्यावरण वैज्ञानिक। 2. श्री एन. मुरली मोहन, वैज्ञानिक	भौतिक, सामान्य एवं गैर धात्विक, धातु, कार्बनिक, सूक्ष्मजीव विज्ञान,

हैदराबाद, पर्यावरण भवन, ए-III, इंडस्ट्रियल एस्टेट, सनथ नगर, हैदराबाद-500018	अधिकारी 3. श्री डी. नागेश्वर राव, वैज्ञानिक अधिकारी	आविष विज्ञानी, जैवकीय, परिसंकटमय अपशिष्ट, मृदा/स्लज/तलछट और परिवेशी वायु के विश्लेषण हेतु वायु प्रदूषण पैरामीटर्स, स्रोत उत्सर्जन/स्टैक निगरानी, शोर स्तर और सूक्ष्म मौसम विज्ञानी पैरामीटर्स ।
---	--	---

अब, श्री पी. वीरन्ना, संयुक्त मुख्य पर्यावरण वैज्ञानिक तथा श्री एन. मुरली मोहन, वैज्ञानिक अधिकारी (उपर्युक्त स्तम्भ 3 के क्रमशः क्रम संख्या 1 से 2) की अधिवर्षिता होने पर, उपर्युक्त अधिसूचना में ये प्रविष्टियाँ विलोपित की जाती हैं। उपर्युक्त तालिका में श्री डी. नागेश्वर राव, वैज्ञानिक अधिकारी का नाम रहेगा और इसे निम्न तालिका में क्रम संख्या 2 पर पुनः व्यवस्थित किया जाता है। स्तम्भ 4 में उल्लिखित पैरामीटरों के संबंधित समूहों के लिए विनिर्दिष्ट, विश्लेषण के लिए भेजे गये वायु, जल, मृदा अथवा अन्य पदार्थों, नमूनों का विश्लेषण करने के प्रयोजन से दिनांक 08 फरवरी, 2018 की राजपत्र अधिसूचना संख्या विधि 42 (3)/87 की निम्न तालिका में स्तम्भ 3 में क्रम संख्या 1 पर प्रतिस्थानी अपर सरकारी विश्लेषक का नाम डाला गया है।

क्र.सं.	प्रयोगशाला का नाम	सरकारी विश्लेषक का नाम	पैरामीटर समूह हेतु मान्यता
1.	2.	3.	4.
173.	केंद्रीय प्रयोगशाला, तेलंगाना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हैदराबाद, पर्यावरण भवन, ए-III, इंडस्ट्रियल एस्टेट, सनथ नगर, हैदराबाद-500018	1. डॉ. एम.एस. सत्यनारायण राव, संयुक्त मुख्य पर्यावरण वैज्ञानिक (एफएसी) 2. श्री डी. नागेश्वर राव, वैज्ञानिक अधिकारी	भौतिक, सामान्य एवं गैर धात्विक, धातु, कार्बनिक, सूक्ष्मजीव विज्ञान, आविष विज्ञानी, जैवकीय, परिसंकटमय अपशिष्ट, मृदा/ स्लज/तलछट और परिवेशी वायु के विश्लेषण हेतु वायु प्रदूषण पैरामीटर्स, स्रोत उत्सर्जन/स्टैक निगरानी, शोर स्तर और सूक्ष्म मौसम विज्ञानी पैरामीटर्स ।

दिनांक 08 फरवरी, 2018 की राजपत्र अधिसूचना संख्या विधि 42 (3)/87 की अन्य विषयवस्तु अपरिवर्तित रहेंगी और दिनांक 07 फरवरी, 2023 तक वैध रहेंगी।

शिव दास मीना, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./72/2021-22 ]

#### पाद टिप्पणी:

मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.आ. 728 (अ) दिनांक 21.07.1987 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसके पश्चात उसमें निम्नलिखित के द्वारा संशोधन किये गए : (1) का.आ. 838 (अ), दिनांक 23.09.87 (2) का.आ. 989 (अ) दिनांक 17.11.87 (3) का.आ. 489 (अ) दिनांक 17.05.88 (4) का.आ. 156 (अ) दिनांक 24.02.89 (5) का.आ. 846 (अ) दिनांक 24.10.89 (6) का.आ. 375 (अ) दिनांक 26.04.1990 (7) का.आ. 803(अ) दिनांक 23.09.92 (8) का.आ. 97 (अ) दिनांक 05.12.1994 (9) का.आ. 418(अ) दिनांक 31.03.1996 (10) का.आ. 889 (अ) दिनांक 31.08.1996 (11) का.आ. 452 (अ) दिनांक 31.05.97 (12) का.आ. 631 (अ) दिनांक 31.05.1998 (13) का.आ. (अ) 336 दिनांक 01.01.1999 (14) का.आ. 44 (अ) दिनांक 15.01.2001, (15) का.आ. संख्या 490 (अ), दिनांक 01.06.2001 और (16) का.आ. संख्या 532 (अ), दिनांक 01.01.2002, (17) का.आ. संख्या 1168 (अ), दिनांक 01.06.2001, (18)

का.आ. संख्या 888 (अ), दिनांक 01.06.2003, (19) विधि/42(3)/87 दिनांक 01.06.2004, (20) विधि/42(3)/87 दिनांक 01.03.2005 (21) विधि/42(3)/87 दिनांक 01.09.2005, (22) विधि/42(3)/87 दिनांक 15.12.2005, (23) विधि/42(3)/87 दिनांक 01.05.2006, (24) विधि/42(3)/87 दिनांक 01.09.2006, (25) विधि/42(3)/87 दिनांक 01.01.2007, (26) विधि/42(3)/87 दिनांक 15.04.2007, (27) विधि/42(3)/87 दिनांक 01.08.2007, (28) विधि/42(3)/87 दिनांक 01.10.2007, (29) विधि/42(3)/87 दिनांक 01.02.2008, (30) विधि/42(3)/87 दिनांक 01.04.2008, (31) विधि/42(3)/87 दिनांक 01.10.2009, (32) विधि/42(3)/87 दिनांक 15.01.2010, (33) विधि/42(3)/87 दिनांक 20.09.2010, (34) विधि/42(3)/87 दिनांक 27.01.2011, (35) विधि/42(3)/87 दिनांक 31.01.2012, (36) विधि/42(3)/87 दिनांक 14.08.2014, (37) विधि/42(3)/87 दिनांक 10.03.2015, (38) विधि/42(3)/87 दिनांक 11.12.2015, (39) विधि/42(3)/87 दिनांक 07.03.2016, (40) विधि/42(3)/87 दिनांक 03.08.2016, (41) विधि/42(3)/87 दिनांक 06.03.2017, (42) विधि/42(3)/87 दिनांक 19.06.2017, (43) विधि/42(3)/87 दिनांक 03.10.2018, (44) विधि/42(3)/87 दिनांक 17.01.2019 (45) विधि/42(3)/87 दिनांक 20.07.2020 तथा (46) विधि/42(3)/87 दिनांक 01.10.2020.

### CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 17th May, 2021

**No. Legal 42(3)/87.**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 12 and 13 read with clause 1 of the Notification No. 145(E), dated 21st February, 1991, issued under Section 23 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Pollution Control Board, Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi- 110032 hereby recognize, (a) the Laboratories specified in column (2) of the table below as 'Environmental Laboratory' to carry out the functions entrusted to the Environmental Laboratories under the said Act, and the rules made there under and (b) specified persons in column (3) of the table as the Government Analysts for the purpose of analysis of samples of Air, Water, or other substances sent for analysis, specified for respective groups of parameters mentioned in column (4). After Sr. No. 183 of the Notification No. Legal/42(3)/87, dated 01st October, 2020, and the entries relating thereto, the following serial no. and entries shall be added, namely:

Sl. No.	Name of Laboratory	Name of the Govt. Analysts	Recognized for Parameters Groups
(1)	(2)	(3)	(4)
184	Project & Development India Limited, Environmental, Laboratory, PDIL Bhawan, A-14, Sector-1, PO-Noida, District-GautamBuddh Nagar, UP-201301.	1. Smt.GyanlataDeshmukh, Dy. Chief Technologist, 2. Dr. Prashant Kumar Singh, Asst. Chief Technologist, 3. Sh. Ashok Chhoker, Aast. Chief Technologist.	Physical, General (Chemical & non-metal and metals), Organics, Microbiological, Toxicological, Biological, Soil/Sludge/Sediments, Characterization of Hazardous waste, and air pollution parameters for analysis of Ambient air, Source emissions/stack monitoring, Noise level and Micrometeorological parameters.
185	Central Laboratory, Maharashtra Pollution Control Board, NirmalBhavan, Plot No-3, TTC, MIDC, Shil-Mahape Road, Navi Mumbai-400710, Maharashtra.	1. Sh. Kishor Vijay Gawankar, JuniorScientific Officer. 2. Dr. DayanandGanu Tare, Junior Scientific Officer, 3. Smt. Heena Vilas Khalokar, Junior Scientific Officer. 4. Smt. Sharmila Chandrakant Bhirud, Junior Scientific Officer.	Physical, General (Chemical & non-metal and metals), Organics, Microbiological, Toxicological, Biological, Soil/Sludge/Sediments, Characterization of Hazardous waste, and air pollution parameters for analysis of Ambient air, Source emissions/stack monitoring, Noise level and Micrometeorological parameters.

186	Environment Management & Policy Research Institute, "HasiruBhawana", Doresanipalya Forest Campus, Vinayakanagar Circle, J. P. Nagar 5 <sup>th</sup> Phase, Bangalore-560078, Karnataka.	1. Dr.BoyaSaritha, Research Associate. 2. Mr. Hariprasad S.L., Chemist	Physical, General (Chemical & non-metal and metals), Organics, Microbiological, Toxicological, Biological, Soil/Sludge/Sediments, Characterization of Hazardous waste, and air pollution parameters for analysis of Ambient air, Source emissions/ stack monitoring, Noise level and Micrometeorological parameters.
-----	---	---	--

The Environmental Laboratories so mentioned shall remain valid for a period of five years from the date of issue of Notification. However, Government Analysts so mentioned at column (3) shall be appointed for a period of five years or upto the superannuation from the service of the Board, whichever is earlier.

### (B) Corrigendum (I)

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 12 and 13 read with clause 1 of the Notification No. 145 (E), dated 21st February, 1991, issued under Section 23 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Pollution Control Board, PariveshBhawan, East Arjun Nagar, Delhi- 110032 had recognized the following 'Environmental Laboratories'(at column 1 of Table), Government Analysts (at column 2 of Table) for the purposes of analysis of samples of Air, Water of Soil or other substances sent for analysis, specified for respective groups of parameters and notified in Gazette Notification detailed (at column 4 of the Table).

This Notification dated 8th February 2018 was published in the Gazette of India Extraordinary Part III Section 4 on 31st May, 2018 and the validity of recognition of Laboratories Notified was for 5 years from the date of Notification i.e. upto 07th February, 2023.

Sr. No.	Laboratory	Name of the Govt. Analysts	Recognized for parameter groups
(1)	(2)	(3)	(4)
173	Central Laboratory, Telangana State Pollution Control Board, Hyderabad. ParyavaranBhawan, A-III, Industrial Estate Sanath Nagar, Hyderabad-500018.	1. Shri P. Veeranna, Jt. Chief Environment Scientist, 2. Sh. N. Murali Mohan, Scientific Officer, 3. Sh. D. Nageswar Rao, Scientific Officer.	Physical, General and non-metallic, metals, organics, microbiological, toxicological, biological, Hazardous waste, soil/sludge/sediment and air pollution parameters for analysis of ambient air, source emissions, noise and micro-meteorological parameters.

Now in the aforesaid Notification due to superannuation of Shri P. Veeranna, Joint Chief Environment Scientist and Sh. N. Murali Mohan, Scientific Officer, (Sr. No.1 to 2 respectively of column 3 above) these entries have been deleted and the name of Sh. M. S. Satyanarayan Rao, Joint Chief Environment Scientist (FAC) has been substituted & inserted at serial no. 1 at column no. 3 in the table below and the name of Sh. D. Nageswar Rao, Scientific Officer in the above table will remain same is rearranged at Sr.No.2 in column no. 3 in the table below, additional Govt. Analysts at Sr.No.1 has been inserted at column 3 in the table below, of Gazette Notification No. Legal/42(3)/87, dated 8<sup>th</sup> February 2018 for the purpose of analysis of samples of air, water, or other substances sent for analysis, specified for respective groups of parameters mentioned in column (4):

Sr. No.	Laboratory	Name of the Govt. Analysts	Recognized for parameter groups
(1)	(2)	(3)	(4)
173	Central Laboratory, Telangana State Pollution Control Board, Hyderabad. ParyavaranBhawan, A-III, Industrial Estate Sanath Nagar, Hyderabad-500018.	1. Dr M. S. Satyanarayan Rao, Joint Chief Environment Scientist (FAC), 2. Sh. D. Nageswar Rao, Scientific Officer.	Physical, General and non-metallic, metals, organics, microbiological, toxicological, biological, Hazardous waste, soil/sludge/sediment and air pollution parameters for analysis of ambient air, source emissions, noise and micro-meteorological parameters.

The other contents of the Gazette Notifications No Legal/42(3)/87, dated 8th February 2018 shall remain unchanged and shall remain valid upto 07th February, 2023.

SHIV DAS MEENA, Chairman  
[ADVT.-III/4/Exty./72/2021-22]

**Foot Note:**

The principal notification was published in the Gazette of India vide No. S.O. 728(E), dated 21-7-1987 and subsequently amended vide- (1) Nos. S.O. 838 (E), dated 23-9-87, (2) S.O. 989 (E) , dated 17-11-87, (3) S.O. 489 (E) , dated 17-5-88, (4) S.O. 156 (E) , dated 24-2-89, (5) S.O. 846 (E), dated 24-10-89, (6) S.O. 375 (E), dated 26-4-1990, (7) S.O. 803 (E), dated 23-9-92, (8) S.O. 97 (E), dated 5-12-1994, (9) S.O. 418 (E), dated 31-3-1996, (10) S.O. 889 (E), dated 31-8-1996, (11) S.O. 452 (E), dated 31-5-97, (12) S.O. 631 (E), dated 31-5-1998, (13) S.O. 336 (E), dated 1-1-1999, (14) S.O. 44 (E), date 15-1-2001, (15) S.O. 490 (E), dated 1-6-2001, (16) S.O. 532 (E), dated 1-1-2002, (17) S.O. 1168 (E), dated 1-6-2001, (18) S.O. 888 (E), dated 1-6-2003, (19) Legal/42(3)/87, dated 1-6-2004, (20) Legal/42(3)/87, dated 1-3-2005, (21) Legal/42(3)/87, dated 1-9-2005, (22) Legal/42(3)/87, dated 15-12-2005, (23) Legal/42(3)/87, (24) dated 1-5-2006, Legal/42(3)/87, (25) dated 1-9-2006, Legal/42(3)/87, (26) dated 1-1-2007, Legal/42(3)/87, (27) dated 15-4-2007 Legal/42(3)/87, (28)dated 1-8-2007, Legal/42(3)/87,(29) dated 1-10-2007, Legal/42(3)/87,(30) dated 1-2-2008, (31)Legal/42(3)/87, dated 1-4-2008,(32) Legal/42(3)/87, dated 1-10-2009,(33) Legal/42(3)/87, dated 15-1-2010, (34) Legal/42(3)/87, dated 20-9-2010, (35) Legal/42(3)/87, dated 27-1-2011,(36) Legal/42(3)/87, dated 31-1-2012,(37)Legal/42(3)/87 14-8-2014,(38) Legal/42(3)/87 10-03-2015,(39) Legal/42(3)/87 11-12-2015,(40)Legal/42(3)/8707-03-2016,(41)Legal/42(3)/8703-08-2016,(42)Legal/42(3)/87 06.03.2017, (43) Legal/42(3)/87 dated 19.06.2017, (44) Legal/42(3)/87 dated 03.10.2018,(45) Legal/42(3)/87 dated 17.01.2019 and (46) Legal/42(3)/87 01.10.2020.